

22/9 वकील प्राची ने उपरिधा को नष्ट कर  
 निम्नलिखित कार में एक पत्र लिख कर  
 पत्रावली को 22/9/19 में रखा नोट  
 कर ही गई। प्राची शांति में कोई भी  
 मांग कर नहीं करती। अभी तक नहीं हुई है।  
 जिसके लिए मांग के एक प्रशासन है  
 रहे हैं।

इसमें पत्रावली को नष्ट कर लेने का  
 कारण भी लिखा।  
 पत्रावली को नष्ट करने के कारण को 22/9/19  
 दिनांक 16/9/19 को पत्र है।

16/9 पत्रावली पेश हुई। प्राची वकील ने वकील  
 पेश किया जो शांति में लिखा है। पत्रावली  
 को नष्ट करने के लिए 14/10/19 को पत्र  
 है।

14/10/19 पत्रावली पेश हुई। प्राची वकील व सरकारी  
 पत्रावली उपरिधा। पत्रावली को नष्ट करने  
 दिनांक 11/11/19 को पत्र है।

5/11/19 संकुलाय फरकन उपास्थित। आज एस.डी.ओ. साहू  
 अवकाश/भ्रमण/अन्य कार्य में व्यस्त है। मिसल  
 संस्तु 27/9/19 दिनांक 26/11/19 को पत्र है।

26/11/19 पत्रावली पेश हुई, वकील वकील अनुपरिधा,  
 सरकारी पत्रावली उपरिधा, न्यायालय परिसर  
 में आवाज दिलवायी गयी, कोई भी न्यायालय में  
 हाजिर नहीं हुआ। (वकील व वकील वकील)

पत्रावली में तहसील कार पूरा हो रहा  
 भी रिपोर्ट अवगत कराया गया कि मुझे रजिस्ट्रार  
 प्राची या किसी अन्य को किसी प्रकार का ओपन  
 नहीं है सरकारी मुक्ति से कास्ट करने पर  
 नियमानुसार खेदवली की कार्यवाही की  
 जा रही है। प्राची न्यायालय में गलत पत्र  
 पेश कर न्यायालय को धुंमसाह कर रहे हैं।  
 प्राची द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में कोई

